

¹[फार्म "क"]

मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल अथवा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के नाम प्रस्तापित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में संसूचना [निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आंबटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 (ग), (घ) व (ङ) देखिए]

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
2. रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन-क्षेत्र ।

विषय :- (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) से के लिए साधारण निर्वाचन प्रतीकों का आंबटन- उम्मीदवारों के नाम प्रस्तापित करने के लिए व्यक्तियों को प्राधिकृत करना ।

महोदय,

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आंबटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 (ग) व (घ) के अनुसरण में मुझे एतद्वारा यह संसूचित करना है कि दल द्वारा जो कि एक* राष्ट्रीय दल/* राज्य में राज्यीय दल/ *रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल है निम्नलिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों को उपरिलिखित निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किए जाने वाले प्रस्तापित उम्मीदवारों के नामों को प्रस्तापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

* जो लागू न हो, उसे काट दें ।

| नोटिस देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम | दल में धारित पद का नाम | निर्वाचन-क्षेत्रों के नाम जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है |
|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

2. इस प्रकार प्राधिकृत उपरिलिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिए गए हैं :-

1. का नमूना हस्ताक्षर
..... (ii).....
2. का नमूना हस्ताक्षर
..... (ii)..... (iii).....
3. का नमूना हस्ताक्षर
..... (ii)..... (iii).....

भवदीय,

अध्यक्ष/ सचिव
दल का नाम ।

स्थान
तारीख

(दल की मोहर)

- विशेष सूचना : 1. यह रिटर्निंग आफिसर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपराह्न के अपश्चात् अवश्य दे दिया जाए ।
2. फार्म उपर्युक्त पदाधिकारी (पदाधिकारियों) द्वारा स्वाही से अवश्य ही हस्ताक्षरित होना चाहिए । किसी भी पदाधिकारी के अनुलिपि हस्ताक्षर अथवा रबर स्टाम्प आदि के माध्यम से किए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
3. फॉक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

¹ अधिसूचना सं० आ० आ० 121 (अ), तारीख 15 दिसंबर, 1967 द्वारा अंतःस्थापित ।